न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या एल.आर / 2021 / 38 / नागौर

1. हनुमान सिंह पुत्र मल सिंह जाति राजपूत निवासी पनवाडी कुचामनसिटी जिला नागौर।
2. रामसिंह पुत्र सरदार सिंह जाति राजपूत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुमचानसिटी जिला नागौर।
3. गिरधारी सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।
4. समदर सिंह पुत्र छोटू सिंह (मृतक) जरिये वारिसानः—
   4/1 सरोज कंवर पत्नी समदर सिंह
   4/2 दशरत सिंह पुत्र समदर सिंह
   4/3 गिरीराज सिंह पुत्र समदर सिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी सूरतपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।
5. सुमेर सिंह पुत्र भेरीसाल सिंह जाति राजपूत निवासी नाथावतपुरा जिला सीकर।
6. फतेह सिंह पुत्र भेरीसाल सिंह (मृतक) जरिये वारिसानः—
   6/1 गजेन्द्र सिंह पुत्र फतेह सिंह
   6/2 शक्ति सिंह पुत्र फतेह सिंह
   6/3 हेम कंवर पत्नी फतेह सिंह
   समस्त राजपूत निवासी नाथावतपुरा जिला सीकर।
7. गायत्री देवी पत्नी मनोहर सिंह जाति राजपूत निवासी कुचामनसिटी जिला नागौर।
8. बंशीलाल पुत्र नाथूलाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
   8/1 किसना पत्नी बंशीलाल जाति रावणा राजपूत निवासी कुचामनसिटी जिला नागौर।
   समस्त जरिये मुख्त्यारआम लक्ष्मण सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी शास्त्री कॉलोनी बोरावड तहसील मकराना जिला नागौर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. कालूराम पुत्र भैरूलाल कुम्हार (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1 राधादेवी पत्नी कालूराम
   1/2 रामूराम पुत्र कालूराम
   1/3 संजय पुत्र कालूराम

1/4 गणेश पुत्र कालूराम
1/5 तेजू पुत्र कालूराम
1/6 ज्योति पुत्री कालूराम
1/7 रेखा देवी पुत्री कालूराम

2. गंगादेवी पत्नी गोपाललाल
3. गुलाबचन्द पुत्र भैरूलाल (मृतक) जरिये वारिसानः–
   3/1 कमलादेवी पत्नी गुलाबचन्द
   3/2 बबलीदेवी पुत्री गुलाबचन्द
   3/3 कानू कुमावत पुत्र गुलाबचन्द
   3/4 गोरु कुमावत पुत्र गुलाबचन्द
   3/5 देवाराम पुत्र गुलाबचन्द

   समस्त जाति कुम्हार निवासी श्रीमॉल के पीछे, कुचामनसिटी जिला नागौर।
4. चांदमल पुत्र भैरूलाल
5. सुश्री पूजा कुमावत पुत्री लालचन्द
6. बलराम पुत्र लालचन्द
7. श्रीमती संतोष पत्नी लालचन्द
8. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी शंकरलाल
9. श्रीमती मूली देवी पत्नी भैरूलाल
10. श्रीमती शिम्भू देवी पत्नी किशनलाल

    समस्त जाति कुम्हार निवासी श्रीमॉल के पीछे, कुचामनसिटी जिला नागौर।
11. श्रीमती मोनिका गोयल पत्नी दिलीप कुमार अग्रवाल
12. शंकरलाल पुत्र किस्तूरमल
13. दिलीप कुमार पुत्र शंकरलाल अग्रवाल

    समस्त जाति अग्रवाल निवासी वी.टी. स्कूल के पास, नयाशहर कुचामनसिटी जिला नागौर।
14. प्राधिकृत अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका कुचामनसिटी

––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 90–ए (8) राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका
कुचामनसिटी दिनांक 22–12–2020

––––

उपस्थित– श्री अजीत लोढ़ा, अभिभाषक अपीलांट्स
श्री गोविन्द शर्मा, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1/1 से 1/7 व 2 से 9 व 11 से 13
श्री प्रदीप यादव अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 10
श्री प्रदीप विश्नोई अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 13

निर्णय

दिनांक 01–03–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका कुचामनसिटी द्वारा विवादित आराजियात खसरा नम्बर 308 के संबंध में सुओ–मोटो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90ए (8) के अन्तर्गत कार्यवाही कर अपीलार्थी की भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए (8) के तहत दल्ला बालाजी रोड़ के पास स्थित आवासीय कॉलोनियां के बाबत कार्यवाही की गई एवं उक्त विवादित आराजियात बाबत लोक सूचना में प्रकाशन की कार्यवाही की गई परन्तु केवल मात्र विधि विपरीत तौर पर सात दिन की अल्प अवधि में नोटिस जारी किया गया एवं समस्त कार्यवाही फौरी तौर पर करते हुए विवादित आराजियात के बाबत 90ए की कार्यवाही विधि विपरीत जाकर सम्पादित कर दी गई। उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी एवं न ही किसी प्रकार से सूचित किया गया। अपलार्थीगण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका कुचामनसिटी के उक्त आदेश दिनांक 22–12–2020 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 पर भी उभय पक्ष को सुना गया । अभिभाषक अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से अपीलार्थी व्यथित पक्षकार है। मौजूदा निगराराकार विवादग्रस्त आराजियात को भूमि के मूल खातेदार राजा प्रताप सिंह के विधिक वारिसान राजलक्ष्मी से विधिवत जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9–1–1989 के क्रेता है एवं विवादग्रस्त आराजियात में उनका कानूनी हित व अधिकार है। अपीलार्थी द्वारा विवादग्रस्त आराजियात को मूल्यवान प्रतिफल देकर सद्भाविक क्रेता के तौर पर खरीदा गया है जिस पर वह काबिज है। इस कारण से भी वह आवश्यक पक्षकार है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे पक्षकार बनाए बिना ही आक्षेपित आदेश पारित कर दिया जो विधिक अधिकारों पर हनन है। विवादग्रस्त आराजियात बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के समक्ष अपीलार्थीगण का राजस्व वाद 81/2019 बउनवान हनुमान सिंह व अन्य बनाम कमला देवी व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विचाराधीन है उक्त वाद के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ है। जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति के आदेश भी पारित किये गये है किन्तु

उक्त समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर आक्षेपित आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा विवादग्रस्त आराजियात के बाबत राजस्व वाद विचाराधीन होने के बाबत एवं विवादग्रस्त आराजियात के बाबत 90 बी की कार्यवाही नहीं करने के सन्दर्भ में दिनांक 7–8–2020 को अधिशाषी अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी को पूर्व सूचना दे दी थी। परन्तु उनके द्वारा उक्त पूर्व सूचना को भी दरकिनार करते हुए आक्षेपित आदेश पारित कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 22–12–2020 के विरुद्व अपील प्रस्तुत करने की अनुमति न्याय हित में प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया।

अभिभाषक अपीलार्थी की उक्त प्रार्थना पत्र की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण अभिभाषक ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय कुचामनसिटी द्वारा विधिक प्रक्रिया अपना कर आक्षेपित आदेश पारित किया है। विवादित आराजियात सिवायचक भूमि है जिस पर अपीलार्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं है। विवादित आराजियात नगर पालिका के कब्जे काश्त की होने से अपीलार्थीगण का उक्त विवादित आराजियात पर कोई हक अधिकार निहित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 96 जा0दी0. का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्षों की धारा–96 जा0दी0 पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलान्ट का धारा–96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजियात ग्राम कुचामन में स्थित है। कुचामन के राजा श्री प्रताप सिंह की जागीरदारी की भूमि थी जो कालान्तर में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आने से उनकी खुदकाश्त की भूमि घोषित हुई। तद्परान्त सेटलमेंट के दौरान उक्त भूमि प्रत्यर्थी के पिता के नाम गलती से दर्ज कर दी गई जिनके द्वारा विवादित आराजियात को अप्रार्थी को विक्रय कर दी गई। उक्त तथ्य की जानकारी होने पर मौजूदा अपीलार्थीद्वारा सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के समक्ष एक राजस्व वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया जो वर्तमान में विचाराधीन है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या 14 द्वारा विवादित आराजियात खसरा नम्बर 308 के बाबत दिनांक 17–6–1999 से पूर्व अस्तित्व में आई आवासीय कॉलोनी के बाबत भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90ए(8) के तहत दल्ला बालाजी रोड के पास स्थित आवासीय कॉलोनियां के बाबत कार्यवाही की गई एवं उक्त विवादित आराजियात बाबत लोक सूचना में प्रकाशन की कार्यवाही

की गई परन्तु केवल मात्र विधि विपरीत तौर पर सात दिन की अल्प अवधि हेतु नोटिस जारी किया गया एवं समस्त कार्यवाही फौरी तौर पर करते हुए विवादित आराजियात के बाबत धारा 90ए की कार्यवाही विधि विपरीत तौर पर सम्पादित कर दी गई। मौजूदा अपीलार्थी का विवादित आराजियात में कानूनी हित व अधिकार निहित है चूंकि उनके द्वारा मूल भूमि के मूल खातेदार राजा श्री प्रताप सिंह की थी एवं उक्त आराजियात उनके मुख्त्यारआम राजलक्ष्मी शाह द्वारा मौजूदा अपीलार्थी को विक्रय कर दी गई। सीलिंग की कार्यवही चलने व कार्यवाही ड्रोप होने के कारण विवादित आराजियात के बाबत राजस्व रेकार्ड में क्रेता जो कि खरीद उपरान्त भूमि के स्वतः खातेदार हो गये थे का नाम राजस्व रेकार्ड में नही आ सका। इस कारण राजस्व रेकार्ड में उनका नाम भी अंकन नहीं हो सका है। विवादित आराजियात बाबत अनेक राजस्व व सिविल वाद न्यायालयों में विचाराधीन है। विवादित आराजियात खसरा नम्बर 308 सेटलमेंट के दौरान विपक्षीगण के नाम दर्ज हो जाने के कारण उक्त गलत इन्द्राज का फायदा उठाते हुए प्रत्यर्थी ने अपने नाम हुई भूमि को जानबूझकर पुर्नग्रहित की कार्यवाही होने दी। तदुपरान्त नगर पालिका कुचामनसिटी के नाम दर्ज करने का आदेश दिनांक 22—12—2020 को पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजियात बाबत कार्यवाही राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 90(क)(8) के तहत प्रारम्भ की किन्तु प्रत्यर्थी ने धारा 90 ए में वर्णित आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना आदेश पारित किया है क्योंकि विधिक प्रावधान स्पष्ट है कि हितधारी किसी आराजियात को भूमि पुनर्ग्रहित करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी की खातेदारी का खेत पुर्नग्रहित करने से पूर्व अपीलार्थी को किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया न ही विधिवत रूप से अपीलार्थी को तामील करवाई गई न ही किसी प्रकार की सूचना किसी भी माध्यम से दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व विवादित आराजियात बाबत किसी प्रकार की मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई जो तथाकथत रिपोर्ट मंगवाना बताया जा रहा है वह भी मौके पर नहीं जाकर कार्यालय में ही बनाई गई थी जिससे विवादग्रस्त आराजियात की सही स्थिति का आंकलन नहीं हो सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी तथाकथित अखबारी साया के नोटिस में यह नहीं बताया गया कि किस खसरा नम्बर के कितने भू—भाग को अकृषि कार्य के उपयोग में लिया गया है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध व विधि विरूद्ध ढंग से आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि मौजूदा अपीलार्थी द्वारा विवादित आराजियात के बाबत राजस्व वाद विचाराधीन होने के संबंध में विवादग्रस्त आराजियात बाबत 90 बी की कार्यवाही नहीं करने के सन्दर्भ में दिनांक 7—8—2020 को अधिशाषी अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका को पूर्व में सूचना दे दी थी। परन्तु उनके द्वारा पूर्व में दी गई सूचना को भी दरकिनार कर दिया गया। विवादित आराजियात बाबत कमला देवी व अन्य बनाम गुलाब चन्द व अन्य नामक राजस्व वाद संख्या 68/2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी के अन्तर्गत धारा 53, 188,207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विचाराधीन है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनाई गई कार्यवाही व कार्य प्रगति व कार्य प्रणाली पूर्ण रूप से स्वीकृत विधि की मंशा के विपरीत एवं एक हितधारी को केवल मात्र उसकी खरीदशुदा भूमि से दरबदर कर विधि विपरीत तौर पर केवल मात्र सरकार को फायदा पहुंचाने की गरज से की गई कार्यवाही है जिसका कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है। मौजूदा अपीलार्थी द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 81/2019 बउनवान हनुमान सिंह व अन्य बनाम कमला देवी व अन्य व उसके साथ प्रस्तुत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र व उक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रतियां न्यायालय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की है जिससे यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो सकेगा कि विवादग्रस्त आराजियात के बाबत धारा 90ए की कार्यवही करने से पूर्व ही राजस्व वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र विचाराधीन है जिसमें न्यायालय द्वारा प्रभावी आदेश पारित किये गये है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त आदेशों को नजरअन्दाज कर आक्षेपित आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्याालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका कुचामनसिटी का आदेश दिनांक 22–12–2020 विवादित आराजियात खसरा नम्बर 308 रकबा 1.4800 हैक्टर का पारित किया गया है उसे निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त लिखित प्रतिउत्तर के जवाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्द शर्मा ने बहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 308 गत खसरा नम्बर 87 से बने है जो मौजूदा प्रत्यर्थीगण के निजी स्वामित्व एवं कब्जाशुदा खातेदारी की आराजियात राजस्व रेकार्ड से बखूबी साबित है। चूंकि विवादित आराजियात के आस–पास काफी समय से कॉलोनिया बसे होने के कारण और उक्त आराजी आबादी में आ जाने से प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका कुचामनसिटी द्वारा इसके सुमोटो 90–ए की कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं विधिक प्रकियाओं का पालन करते हुए दिनांक 22–12–2020 को उक्त आराजियात सुओ–मोटो 90–ए की कार्यवाही के आदेश दिये गये है।

उनका यह भी तर्क है कि मौजूदा प्रत्यर्थीगण विवादित आराजियात के प्रारम्भ से ही खातेदार काश्तकार चले आ रहे है जबकि अपीलार्थीगण का ना तो उक्त आराजियात पर कभी कब्जा काश्त रहा ना ही वे कभी उक्त आराजी के खातदेार काश्तकार रहे है, स्वयं अपील में उनके द्वारा लिखे गये तथ्यों के अनुसार वे अपने आपको मूल खातेदार राजा प्रतापसिंह के मुखत्यारआम राजलक्ष्मीशाह से उक्त आराजी को खरीद करना बताते है और कहते है कि राजस्व रेकार्ड में उनके नाम का अंकन नहीं हो सका इससे यह स्पष्ट है कि वे उक्त आराजी के राजस्व रकार्ड में खातेदार नहीं है और जब वे उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार ही नही है तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवादित आराजी की जो 90–ए की कार्यवाही की गई है उससे वे पीड़ित होना नहीं माने जा सकते क्योंकि उनका कोई लोकस

नहीं है ना ही कोई हित प्रभावित होता है तो जब ना तो लोकस है ना ही हित प्रभावित होता है तो माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है केवल मात्र अपीलार्थीगण प्रत्यर्थीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से उन्होंने बेबुनियाद आधारों पर मय धरा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ जो अपील पेश की है वह लोकस स्टेण्डाई के अभाव में निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि मौजूदा अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के समक्ष वादग्रस्त आराजियात की खातेदारी को लेकर दावा पेश कर रखा है जिसमें राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी ने अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर स्पष्ट कर दिया गया था कि गत खसरा नम्बर 87 जागीरदार की खुदकाश्त आराजी नहीं थी साथ ही खसरा नम्बर 308 निजी खातेदारों की आराजियात राजस्व रेकार्ड में दर्ज है साथ ही मौजूदा अपीलार्थी उक्त आराजी को दिनांक 10—1—1989 को जो क्रय करना बताते है वह बेचान पत्र शुरू से ही शून्य है जिसका नामान्तरकरण अभी तक खुला ही नहीं है। क्योंकि जब विवादित आराजियात राजा प्रताप सिंह की खुदकाश्त में ही नहीं थी तो उन्हें उसे अंतरण करने का कोई अधिकार नहीं था बाकी दावा अभी तय होना शेष है जो स्वीकार होगा या खारिज परन्तु मात्र दावा कर देने से प्राधिकृत अधिकारी कुचामनसिटी द्वारा जो 90—ए की कार्यवाही की गई है उसे वे प्रभावित नहीं कर सकते ना ही उक्त कार्यवाही से वे किसी प्रकार से पीड़ित कहलवा सकते है।

उनका यह भी तर्क है कि मौजूदा अपीलार्थीगण का उक्त अपील में माननीय न्यायालय के समक्ष यह कहना कि 90—ए की कार्यवाही करने से पूर्व उन्हें किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया और न ही सुना गया। इस संबंध में जब रेकार्ड में वे उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार ही नहीं थे ना ही किसी प्रकार की उक्त आराजी में दखल रखते थे तो उन्हें नोटिस दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी साथ ही उक्त समस्त कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 90—ए सबक्लोज्ड 8 के प्रावधानों के तहत सुओ—मोटों की गई है इस आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि वर्तमान अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील में यह कथन करना कि विवादित आराजियात के संबंध में कई न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश प्रभाव में था उनका उक्त कथन बेबुनियाद आधारहीन एवं मनगंढंत है क्योंकि उनके द्वारा राजस्व अपील अधिकारी नागौर से जो स्थगन आदेश दिनांक 17—3—2020 को लिया गया था उसे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की एकलपीठ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11—12—2020 के द्वारा प्रकरण संख्या 3981/2020 में निरस्त कर दिया गया था साथ ही जिसके विरूद्ध मौजूदा अपीलार्थीगण ने एक रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18—2—2021 के द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में बिना कोई स्थगन आदेश जारी

किये मात्र 2 माह में विचारण न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने के निर्देश दिये है तात्पर्य यह है कि अपीलार्थीगण के पक्ष में विवादित आराजियात को लेकर कोई स्थगन आदेश नहीं था इसलिए स्थगन बाबत उनका कथन निराधार है। साथ ही प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका कुचामन सिटी द्वारा जब 90–ए की कार्यवाही की जा रही थी तो तहसीलदार कुचामनसिटी से मौका रिपोर्ट तलब की थी जिसमें भी विवादित आराजियात पर कोई स्थगन आदेश नहीं होने का स्पष्ट उल्लेख है जो माननीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद है। प्राधिकृत अधिकारी कुचामनसिटी द्वारा 90–ए के प्रावधानों को ध्यान में रखकर राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर विधिक प्रकिया का पूर्ण पालना करते हुए विधिवत रूप से 90–ए की कार्यवही सम्पन्न की है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 13 के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप विश्नोई ने कथन किया कि रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर अपीलार्थीगण रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 9–1–1989 को खातेदार नहीं था। बेचानकर्ता खातदेार नहीं था। विवादित आराजियात जागीर भूमि है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन कर संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि कुचामन सिटी में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 308 रकबा 1.4800 हैक्टर के संबध में सुओ–मोटो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 (ए)(8) के अन्तर्गत कार्यवाही में अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 12 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 (ए) के तहत राज्य पक्ष में पुर्नग्रहित करने का आदेश प्रदान करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 14 द्वारा नगर पालिका कुचामनसिटी के नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। हस्तगत प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवादित आराजियात आबादी में आ जाने से सोमोटो 90 ए (8) की धाराओं के तहत आदेश पारित किया है जिसमें किसी खातेदार/पक्षकार को नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है ना ही अपीलार्थी ने प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष कोई एतराज ही किया है। 90 ए का आदेश पारित किये जाने के दौरान विवादित खसरा नम्बर पर किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं था। साथ ही उक्त खसरा नम्बर में बहुत सारे सहखातेदार है उक्त सभी सहखातेदारों को उक्त आदेश से किसी को कोई एतराज नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जागीर भूमियां जो जागीर पुनर्ग्रहण की तारीख के पश्चात बेची गई। प्रथम प्रकार की भूमियों के विषय में जागीरदार जागीर का पुनर्ग्रहण हो जाने की तारीख के पश्चात उन्हें बेचने की समस्त

शक्तियों से विमुक्त हो गये। दूसरे प्रकार की भूमियों के विषय में स्थिति यह है कि जो भूमियां मकबूजा ठिकाना दर्ज थी वे वास्तव में ठिकाने की थी न कि निजी रूप में स्वयं जागीरदारों की और वे जागीरों के पुनर्ग्रहण के पश्चात राज्य में निहित हो गई। अतः विक्रय द्वारा अथवा अन्यथा इन भूमियों को स्थानान्तरित करने का कोई वैद्य अधिकार जागीरदारों को नहीं है तथा ऐसी भूमियों के संबंध में उनके द्वारा किये गये समस्त विक्रय शून्य एवं निरर्थक है। तहसीलदार, कुचामनसिटी ने उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी को प्रेषित रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि गत खसरा नम्बर 87 जागीरदार की खुद काश्त नहीं थी बल्कि जागीर भूमि थी जो राज0 जागीर अधिनियम 1952 की धारा 22 एवं राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ.3(48)रेव्यू/बी/60 दिनांक 21–4–60 एवं परिपत्र क्रमांक एफ.3(78)रेव्यु/केएचए/60 दिनांक 16–9–1960 के अनुसार स्वतः राजकीय (सिवायचक) भूमि हो गई। जिसमें राजा प्रताप सिंह का किसी प्रकार का स्वामित्व नहीं था। आराजी खसरा नम्बर 280 वर्तमान में सीलिंग से अवाप्त की जाकर राजकीय दर्ज है एवं खसरा नम्बर 308 विभिन्न निजी खातेदारों की खातेदारी में दर्ज है। साथ ही राजा प्रताप सिंह द्वारा किया गया बेचान दिनांक 10–1–1989 शुरू से ही शून्य है। उक्त भूमि जागीर भूमि थी ना कि जागीरदार प्रताप सिंह की खुद काश्त थी। जागीरदार प्रताप सिंह को उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से अन्तरण के कोई अधिकार नहीं थे। अपीलार्थीगण विवादित भूमि बाबत उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के समक्ष राजस्व वाद विचाराधीन होना बता रहे है तो विवादित आराजियात के संबंध में निर्णय दावे में ही तय होगें। ऐसी स्थिति में विवादित आराजियात खसरा नम्बर 308 रकबा 1.4800 हैक्टर भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के तहत पुनर्ग्रहित किया जाकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क की उपधारा (8) के तहत विवादित आराजियात को प्राधिकृत अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका कुचामनसिटी द्वारा उनके आदेश क्रमांक 3127 दिनांक 22–12–2020 द्वारा नगर पालिका कुचामन सिटी के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा प्राधिकृत अधिकारी अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका कुचामनसिटी जिला नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–12–2020 अन्तर्गत धारा 90–क (8) राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01–03–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर